

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-23/2019/1714/तीस-4-2019-08(सा0)/18 टीसी
लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2019

संशोधन/शुद्धि-पत्र

परिवहन विभाग में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 के प्रस्तर संख्या-7 में ईवी मोबिलिटी प्रोत्साहन के सम्बन्ध में इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु मांग अभिप्रेरण तथा बाजार के सृजन के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध प्रदेश में निजी रूप से विनिर्मित प्रथम एक लाख क्रेताओं को औद्योगिक विकास विभाग के शासनादेश संख्या-617(2)/77-6-2019-एलसी 02/2019, दिनांक 05.09.2019 के क्रम में छूट प्रदान किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1714/तीस-4-2019, दिनांक 29.11.2019 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 ख में अंकित अन्य ईवीज को रोड टैक्स में 75 प्रतिशत छूट के स्थान पर अन्य ईवीज को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट त्रुटिवश अंकित हो गया है।

2- अतः शासनादेश दिनांक 29-11-2019 के प्रस्तर-2 (ख) में अन्य ईवीज को रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट के स्थान पर **अन्य ईवीज को रोड टैक्स में 75 प्रतिशत की छूट पढ़ा जाय।**

3- उक्त शासनादेश दिनांक 29-11-2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश की शेष अन्य शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेगी।

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।

संख्या-23/2019/1714/तीस-4-2019-08(सा0)/18 टीसी तद्विनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उनके पत्र दिनांक 05-09-2019 के संबंध में।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार मिश्र)
विशेष सचिव।